आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
06.5.25	(see below)	Seen Acc. Noted 09.05.25

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

Confiscation Case No. -17/2024-25

सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा **बनाम** अज्ञात व्यक्ति एवं अन्य

आदेश

यह वाद पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के ज्ञापांक-892/अप0शा0, दिनांक-21.07.2024 द्वारा नाला थाना काण्ड संख्या-80/2023, दिनांक-30.10.2023 में जप्त करीब 1.5 क्विंटल अवैध कच्चा कोयला को राजसात किये जाने की अनुरोध पर दायर है।

उक्त वाद में नाला थाना काण्ड संख्या-80/2023, दिनांक-30.10.2023 में प्राथमिकी अभियुक्त अज्ञात है। लेकिन पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के ज्ञापांक-892/अप0शा0, दिनांक-21.07.2024 में वर्णित है "यह काण्ड धारा-414/34 भा0द0वि0 4/21 (IV)(V) एम0एम0डी0आर0 एक्त-1957, के अन्तर्गत (1) पम्पसेट Z170F(CIXI THREE CIRCLE DISELE EINGIN CO, LTD) MADE IN CHINA के मालिक (2) पहले साईकिल के अज्ञात चालक (3) दूसरे साईकिल के अज्ञात चालक एवं (4) अवैध खदान संचालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है।"

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017 की Rule 11(v) ßAny Minerals, tool, equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." के अनुसार उक्त काण्ड में जप्त 1.5 क्विंटल अवैध कच्चा कोयला का राजसात/अधिग्रहण की कार्रवाई किया जाना न्यायसंगत होगा।

अतः The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017 की Rule 11(V) के तहत पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के ज्ञापांक-892/अप0शा0, दिनांक-21.07.2024 द्वारा नाला थाना काण्ड संख्या-80/2023 दिनांक-30.10.2023 में जप्त 1.5 क्विंटल अवैध कच्चा कोयला का राजसात/अधिग्रहण (Confiscation) किया जाता है।

जिला खनन पदाधिकारी, जामताड़ा को निदेश दिया जाता है कि वे थाना प्रभारी, नाला थाना, जिला-जामताड़ा की उपस्थिति में 1.5 क्विंटल अवैध कच्चा कोयला को नियमानुसार निलाम करने के पश्चात् प्राप्त राशि जिला कोषागार जामताड़ा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Digitally signed by localhost
Date: 2025.05.09 11:07:01 +05:30
Location: 192.168.30.106